मिशन / विजन तथा उद्देश्य

मिशन/विजन

1. ग्रामीण एवं शहरी आबादी के जीवन स्तर को उन्नत बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाना।

2. देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क सहित परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक–अनुकूल और विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

मिशन को आगे बढ़ाने के क्रम में, निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य हैं:

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर ध्यान देने के साथ–साथ विद्युत वितरण पर केंद्रित परियोजनाओं को प्रोत्साहन एवं इनका वित्तपोषण तथा भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन।

2. दुर्गम, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जन–जातीय, तटवर्ती और अन्य असुगम/सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण आदि जैसे अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों का विस्तार करना और इनमें विविधता लाना।

3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए ऋण स्वीकृत करना।

4. निगमित लक्ष्यों को पूरा करते हुए निगम के प्रचालनों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिफल की अधिकाधिक दर की प्राप्ति अर्थात (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास; (ii) बिजली के लोड का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तीव्र गति से सामाजिक–आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।

5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास एवं भरोसे के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।

6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।